अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

22 अक्तूबर, 2020

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/40/2020-21

सेवा में

श्री मनीश कुमार मित्तल,
अवर सचिव (Coord)/केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी,
वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग,
कमरा सं. 29, तृतीय तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री बिजय बहादुर उर्फ भीम सिंह पटेल निवासी ग्राम निपनियाँ, पोस्ट सण्डी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का 10.10.2020 का पत्र इस सचिवालय में 19.10.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने नकद दस रूपये का नोट सं. J2R 737722 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इलाहाबाद बैंक शाखा चतरा द्वारा इनके पिता श्री जैमनी सिंह के साथ धोखा धडी किये जाने की शिकायत की है तथा अपनी शिकायत पर की गई कार्रवाई की सूचना प्रदान किये जाने हेतु आवेदन किया है। चूंकि इनके पत्र की विषय-वस्तु आपके विभाग से संबंधित है अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया अधोहस्तक्षारी को सूचित करते हुए आवेदक को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि उक्त विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री बिजय बहादुर उर्फ भीम सिंह पटेल निवासी ग्राम निपनियाँ, पोस्ट सण्डी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

सेवा में,

पत्रांक A8 Date 10/10/2020

महामहीम राष्ट्रपति भारत!

RTI No. 40

Finance

महामहीम,

प्रार्थी के पिता का इलाहाबाद बैंक चतरा में तीन लाख का के0सी0सी0 ऋण खाता (No. 50071759166) था। बैंक ने बिना सहमति–अनुमति व लिखित आदेश के छल–कपट करके तीन लाख का ऋण दर्शाकर सात महिने का बीमा–ब्याज का पैसा हड़प लिया। जिसकी शिकायत मैने शासन–प्रशासन से किया। इस बैंक का तो कुछ नही हुआ, बैंक ने प्रार्थी के पिता का के0सी0सी0 खाता बन्द कर दिया पुनः खोलने के लिये परेशान करने लगा। अन्त में थक–हार कर इस बैंक से लेन–देन समाप्त कर लिया तो यह बैंक दूसरे व्यक्ति का ऋण प्रदर्शित करवा (Trans Union CIBIL) कर ऋण खोर बना दिया ताकी देश का कोई भी सरकारी बैंक ऋण न दे सके। प्रार्थी ने अपने पिता को ऋण खोर से मुक्ति का प्रमाण–पत्र लेकर इससे बढ़िया व बड़े बैंक (भारतीय स्टेट बैंक रावर्ट्सगंज) की शरण यह सोचकर ली की यह बैंक इस तरह का काम नही करेगा। मगर यह बैंक तो और शातिर निकला के0सी0सी0 खाता नं0 38444686809 दिनांक 08/05/2019 लिया गया ऋण 7000.00 (सात हजार रूपया) बीमा–ब्याज मिला कर एक साल में 49000.00 (उनचास हजार रूपया) 4–7 या 10–20 प्रतिशत नही पुरे 700.00 प्रतिशत (सात सौ प्रतिशत)। देश–दुनिया के किसी काल खण्ड में शायद ही कोई सेठ–साहुकार या राजा ने इतनी सुदखोरी की हो। ये बैंक केवल मेरे साथ ही इस तरह का व्यवहार करतें हो ऐसा नही है। सोनभद्र के उन सभी किसानों का शोषण करते हैं जो के0सी0सी0 खाता मे आपात काल के लिए पैसा रख छोड़ते हैं। ये उन पैसों को स्वतः निकाल कर मनमाने ढंग से हराम खोरी कर रहे हैं। सम्भव है देश–प्रदेश में भी करते हो। इण्टरनेट व कम्प्यूटर युग में ऐसे चोरों को पकड़ना बहुत आसान है। जिला प्रशासन बेबस है बिना सी0बी0आई0 जाँच के सच्चाई मुमकिन नहीं।

इसके पूर्व में भेजे गये पत्र–पत्रांक A 7 Date 27-07-2020 जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक है जिसके सूचना/न्याय के लिए आपके साथ–साथ सभी ने अपने स्तर से प्रयास किया। जिसके लिए आप सभी का बहुत–बहुत आभार एवं कोटी–कोटी धन्यवाद। देश के दो बड़े नेता (श्री जे0पी0 नड्डा एवं श्रीमति सोनिया गाँधी) ने कोई जवाब नही दिया। इस बात का दुःख नही है, दुःख इस बात का जरूर है कि जिन्हे आप इस प्रकार कि चोरों को पकड़वाने व पकड़वाकर सजा दिलवाने की संवैधानिक शक्ति दी है, उन्होंने बैंक के साथ ऐसा कुछ नहीं किया उल्टा प्रार्थी को जो ब्लाक में तकनिकी सहायक (मनरेगा) है श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी चतरा, श्री निरंकार मिश्रा ने जब–जब इन धूर्तो से न्याय माँगने की कोशिश की तब–तब इन्होंने कोई सूचना/न्याय तो नहीं दिया अलवत्ता प्रार्थी के उपर ही झुठा व गन्दा आरोप लगाकर ब्लाक बध्द तो कभी जिला सम्बध्द व वर्तमान में ब्लाक बध्द (पत्रांक 837/स्था012021 दिनांक 09/09/2020) कर–करके आर्थिक–मानसिक व समाजिक शोषण कर रहे हैं। प्रायोजित जाँच/कार्यवाही के नाम पर डेरवा–धमका कर मेरी साल भर की कमाई लूट लिये व लूटवा दिये। ये खास तौर से ऐसे प्रधान, सचिव, तकनिकी सहायक व पंचायत मित्र (रोजवार सेवक) को अपना शिकार बनाते है जो दलित व पिछड़े समाज से आते हैं। ब्लाक प्रशासन के इस द्वेष पूर्ण रवैया से अब तो इन कपटी सूदखोरों से न्याय माँगने में डर लगता है प्रार्थी नीचे लिखे दो बिन्दुओ की सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के तहत सूचना/समाधान चहता है।

1. क्या कोई व्यक्ति या बैंक खाता धारक के अनुमति– सहमति व लिखित आदेश के बिना उसके खाते में पैसा डाल सकता है या निकाल सकता है।
2. क्या कोई बैंक के0सी0सी0 ऋण खाता धारक के बिना ऋण लिए ही ऋण प्रदर्शित सूदखोरी कर सकता है।

उचित एवं जल्द न्याय मिले। प्रार्थी आपका आजीवन आभारी रहेगा।

दिनांकः– 10-10-2020

प्रार्थी

विजय बहादुर उर्फ भीम सिंह पटेल
ग्राम निपनियाँ पो0 सण्डी सोनभद्र उ0प्र0।

प्रतिलिपिः– सेवा में सादर सूचनार्थ एवम् सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग अधिकारी व नेता को प्रेषित भारतीय मुद्रा 10रू का नोट भारतीय पोस्टल आर्डर व नम्बरं 12R 737722

1.महामहिम उपराष्ट्रपति भारत! 2. माननीय मुख्य न्यायाधिश सुप्रिम कोर्ट ! 3. मा0 अध्यक्ष लोकसभा! 4. मा0 प्रधानमंत्री भारत सरकार! 5. मा0 गृहमंत्री भारत सरकार! 6. मा0 वित्तमंत्री भारत सरकार! 7. मा0 सूचना प्रसारण मंत्री भारत सरकार। 8. मा0 कृषिमंत्री भारत सरकार। 9. श्री अरबिन्द केजरीवाल मा0 मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार! 10. श्रीमान डायरेक्टर सी0बी0आई भारत! 11. श्रीमान गर्वनर भारतीय रिजर्व बैंक! 12. महामहिम राज्यपाल उ0प्र0! 13. माननीय मुख्य न्यायाधिश हाईकोर्ट इलाहाबाद!14. मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार! 15. श्रीमान जिलाधिकारी सोनभद! 16. श्रीमान पुलिस अधिक्षक सोनभद्र! 17. श्रीमान मुख्यविकास अधिकारी सोनभद! 18. श्रीमान खण्ड विकास अधिकारी चतरा–सोनभद्र! 19. श्रीमान अग्रणी बैंक अधिकारी सोनभद्र!..... From Bheem Singh Patel

हम आपके नवीनतम कृषि बिल का समर्थन एवं स्वागत करते हैं।